9.8.18

आदेशिका

वादी की हाजिरी नहीं रही। प्रतिवादीगण अनुपस्थित हुए।
वाद का बारम्बार पुकार किया गया, पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी प्रतिवादीगण को उपस्थित हेतु सूचित हुआ था वादी को दिनांक 13.7.17 को प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु प्रकाशन की कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया था परन्तु दिनांक 11.10.17 से लगातार अभिलेख विगत 45 तिथि बीत जाने के बाद भी वादी द्वारा प्रकाशन का प्रारूप दाखिल नहीं किया गया है और न ही वाद की पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित होते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई आपत्ति नहीं रह गई है।

मामले के वाद की उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए वादी द्वारा दिनांक 13.7.17 का आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण वादी का वाद निरस्त होने योग्य है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

11 अप्रैल